राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)

E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–रालसा / स्टोर / एफ 9 / 2022–23 / 25425 दिनांकः– 21/09/22

सीमित बोली - 09

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के क्रम में निम्न सामग्री राजस्थान के समस्त जिलों में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों में ट्रांसपोर्ट के द्वारा भिजवानी जानी है:–

क्र. स.	सामग्री का विवरण
1.	मुद्रित सामग्री (पुस्तके, प्रमाण–पत्र, डिक्शनरी)
2.	फर्नीचर सामग्री (ऑफीस टेबल, रिवॉल्विंग चैयर्स एवं कुशन चैयर)
3.	अन्य सामग्री (मिल्टन–पानी की खाली बोतले, रिस्ट वॉच, मेडल्स, बेग्स इत्यादि)

उक्तांकित सामग्री (कहां–क्या भिजवानी है) का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। सामग्री संलग्न सूची के अनुसार जिला मुख्यालयों पर स्थित कार्यालयों में पहुंचानी है, **अतः इस संबंध में फर्म अपनी दर प्रस्तुत करें।** उक्तांकित सामग्री भिजवाये जाने पर लगभग राशि रुपये 1,20,000 / – से 150000 / – के मध्य व्यय होने की सम्भावना है।

उक्त सामग्री ट्रांसपोर्ट के द्वारा भिजवाने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित फर्मों / ट्रांसपोर्टरों से बन्द लिफाफों में सीमित निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 28.09.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा उसी तिथि को दोपहर 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें:–

1. उक्तांकित सामग्री राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर परिसर से लेनी होगी।
2. उक्तांकित सामग्री को लदाने व ढुलाने का कार्य फर्म द्वारा ही किया जावेगा।
3. उक्तांकित सामग्री को लदाने व ढुलाने में सामग्री के टूट–फूट व नुकसान की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसकी नियमानुसार वसूली फर्म से की जावेगी।
4. उक्तांकित सामग्री को पहुंचाने के समय सामग्री के चोरी, जलने व अन्य किसी प्रकार से हुये नुकसान की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसकी नियमानुसार वसूली फर्म से की जावेगी।
5. उक्तांकित सामग्री संबंधित स्थान पर पहुंचाने पर उसकी पावती इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने पर ही भुगतान किया जावेगा।
6. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
7. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होगी।
8. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार शुल्क देय नहीं होगा।
9. कार्यादेश जारी किये जाने के 7 दिवस में सामग्री नियत स्थान पर पहुंचानी होगी।
10. सामग्री नियत दिवसों में नहीं पहुंचाने पर प्रति कार्यालय 1000 / – रुपये प्रति दिन की राशि काटी जावेगी।
11. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।

21/09/2022

निदेशक

क्रमांकः–रालसा / स्टोर / एफ 9 / 2022–23 / 25426–25428 दिनांकः– 21/9/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट एवं SPPP पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित / रक्षित पत्रावली।

21/09/2022

उप सचिव–प्रथम (स्टोर प्रभारी)